न्यायालय ए0एच0गौरी, आरएएस, कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर।

अपील सं0 21/2017

1 भाउखां पुत्र जमालखां जाति मुसलमान तेली निवासी -- अपीलान्ट
गिराजसर तहसील कोलायत जिला बीकानेर

बनाम

1 अली खां | पि0 जमाल खां
2 सदीक खां
3 मांगू खां

4 मु0 छोटी पत्नी अहमद खां
5 सिकन्दर खां पुत्र अहमद खां

6 जुसूफ खां | माता बिस्मिला पुत्री जमालखां जाति मुसलमान
7 सुभान खां | तेली साकिन गिराजसर तहसील कोलायत
8 दिलावरदीन खां | जिला बीकानेर
9 लाल मोहम्मद

10 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उपनिवेशन, गजनेर -- रेस्पोडेन्टान
मुकाम कोलायत

अपील बनाराजगी इन्तकाल संख्या 361 दिनांक 28-02-1987 ग्राम गिराजसर जिसकी रूह से अपीलांट व रेस्पोडेन्ट सं0 1 ता 9 की भूमि का गलत खाता विभाजन किया गया को निरस्त करने व अपील मंजूर करने।

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषक :-

1. श्री रामचंद्रसिंह भाटी, अभिभाषक, अपीलान्ट।
2. श्री रविराज सिंह भाटी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 9
3. पेरोकार राज राज्य की ओर से।

-: निर्णय :-

दिनांक :- 27-02-2018

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन विद्वान तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं0 4 मु0 बीकमपुर हाल उपनिवेशन तहसील गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा दिनांक 28-2-1987 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 361 को स्वीकृत किया गया है।

2 संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रोही गिराजसर स्थित साबिका खसरा नम्बर 100 तादादी 76.08 बीघा व खसरा नं0 115 में 131.10 बीघा कुल 207.18 बीघा भूमि अली, अहमद, सदीक, भाउ, मंगतू, बिस्मिला पि0 जमाल व मु0 नेनी बेवा जमाल तेली के नाम सामलाती गैर खातेदारी कृषि भूमि थीं जिस पर सही सह काश्तकारान का बैहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। सभी गैर खातेदारों की आपसी सहमति के आधार पर खाता विभाजन उनके मध्य तहसीलदार उपनिवेशन कोलायत नं0 4 मु0 बीकमपुर ने अपने आदेश दिनांक 28-2-1987 को कर दिया और इस खाता विभाजन के आधार इंतकाल संख्या 361 दिनांक 28.2.87 को ही स्वीकृत कर दिया। इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील हमारे समक्ष प्रस्तुत कर अभिकथन किया हैं कि आदेश इन्तकाल जैर अपील खिलाफ कानन मिसल रिकार्ड के विपरीत हैं क्योंकि अपीलार्थी ने खाता

इस कारण अपील स्वीकार की जावें तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इन्तकाल सं0 361 को निरस्त किया जावें। अपील मीमो में आगे मियाद के बिन्दु पर अभिकथन करते हुए दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अपील मीमों के साथ संलग्न किया गया हैं।

3 इस अपील के रेस्पोडेन्टान को नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं.0 1 ता 9 की तरफ से श्री रविराजसिंह भाटी ने अपना अभिभाषक पत्र उपस्थित होकर दाखिल किया। राज्य की ओर से पैरोकारराज उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया। जिसके क्रम में इन्तकाल सं0 361 ग्राम गिराजसर असल पडत न्यायालय मे उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत के द्वारा भिजवाई गई जो शामिल पत्रावली करवाई गई।

4 बहस योग्य अधिवक्तागण उभयपक्ष सुनी गई।

5 योग्य अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे दर्ज समस्त तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार के समक्ष खाता विभाजन समस्त पक्षकारों की सहमति के आधार पर ही किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में जब अपीलार्थी ने किसी प्रकार की कोई सहमति तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर दी ही नही थीं फिर भी खाता विभाजन सभी पक्षकारों की सहमति के आधार पर किया जाना मूल रूप से ही गलत हो जाता हैं तथा इसी आधार पर आक्षेपाधीन इंतकाल निरस्त योग्य हो जाता हैं। इसके अलावा उन्होंने बहस मे यह भी तथ्य उठाया कि आयुक्त उपनिवेशन महोदय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 6–11–04 के विपरीत खाता विभाजन किये जाने से भी आदेश इंतकाल जैर अपील निरस्तनीय हो जाता हैं।

6 अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक ने मियाद के बिन्दु पर बहस करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इंतकाल तस्दीक करते समय ना तो अपीलार्थी की सहमति ली और ना ही उसे किसी प्रकार की सूचना व सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया हैं। इसलिए एकपक्षीय पारित आदेश की जानकारी उसे पूर्व मे नही हो सकी। उक्त आदेश की जैसे ही जानकारी हुई अपीलार्थी ने बिना किसी विलम्ब प्रथम तिथि की जानकारी के आधार पर अपील प्रस्तुत की गई हैं जो मियाद अधिनियम का फायदा अपीलार्थी को दिया जाकर अपील मे हुई देरी को कन्डोन किया जावें तथा इसे मियाद के भीतर प्रस्तुत होनी घोषित की जाकर अपील मंजूर की जावें तथा आक्षेपाधीन इन्तकाल को निरस्त फरमावें जावें।

7 योग्य पैरोकारराज ने अपीलार्थी के योग्य अभिभाषक की बहस का समर्थन करते हुए अभिकथन किया कि यह सही हैं कि उपनिवेशन में गैर खातेदारों का विभाजन उनके मध्य नही हो सकता क्योंकि इस संबंध मे माननीय राजस्व मंडल अजमेर मे हुए रेफरेंस सं0 11/95 अनवानी राजस्थान राज्य विरूद्व किशनाराम निर्णय दिनांक 25.1.96 में यह व्यवस्था दी गई हैं। इसी निर्णय के अनुसरण मे ही आयुक्त महोदय बीकानेर ने परिपत्र दिनांक 6–11–2004 को जारी किया गया है। जिसमे गैर खातेदारी भूमि का विभाजन किये जाना निषेध माना गया है।

8 इस बहस के विरोध मे योग्य अभिभाषक सं0 1 ता 9 ने अपनी बहस में कथन किया कि धारा 53(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे यह स्पष्ट रूप से प्रावधित हैं कि सह काश्तकारान को अपने जोतों का विभाजन करवाने का अधिकार प्राप्त हैं तो आयुक्त महोदय के परिपत्र के संबंध मे कोई आपत्ति विभाजन किये जाने मे नही होनी चाहिए। अतः उपनिवेशन तहसीलदार इंतकाल सं0 361 दिनांक 28–2–87 पर पारित आदेश मे किसी प्रकार की अनियमितता, अवैधानिकता नही हैं। अपील को खारिज की जानी चाहिए हैं।

मियाद के बिन्दु पर उन्होंने तर्क दिया कि यह अपील उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं0 4 मु0 बज्जू की आज्ञा दिनांक 28–2–87 के विरूद्व इस न्यायालय मे दिनांक 4.2.17 को प्रस्तुत की गई हैं जो 30 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गई जो अति विलम्बित रूप से प्रस्तुत होने से इसी आधार पर निरस्त की जानी चाहिए हैं क्योंकि देरी के युक्तियुक्त एवं संतोषप्रद कारण मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे अंकित नही किये हैं जबकि देरी के कारणों को स्पष्ट रूप से लिखा जाना आवश्यक हैं। दफा 5 मियाद अधिनियम दर्ज तथ्य सद्भाविक नही होने से मियाद अधिनियम का फायदा अपीलार्थी को नही दिया जा सकता। और अपील मियाद के बिन्दु पर निरस्त योग्य हो जाती हैं।

किया हैं।

10 सर्वप्रथम हम अपील मे मियाद बिन्दु पर निर्णय करना न्यायोचित समझते हैं। प्रस्तुत अपील उपनिवेशन तहसीलदार कोलायत नं0 4 की आज्ञा दिनांक 28–2–87 के विरूद्व इस न्यायालय मे दिनांक 4–12–2017 को प्रस्तुत की गई हैं जो बहुत देरी से प्रस्तुत की जानी प्रकट होती हैं जबकि प्रथम अपील में 30 दिवस की मियाद कानून मे निर्धारित की गई हैं लेकिन अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया हैं कि तहसीलदार द्वारा जो खाता विभाजन पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति के आधार पर किया जाकर आक्षेपाधीन इन्तकाल पारित किया हैं उस खाता विभाजन में अपीलार्थी तहसीलदार के समक्ष उपस्थित ही नही था और ना ही उसकी कोई सहमति इसमे दी गई थीं इस तथ्य का खण्डन रेस्पोडेन्ट के द्वारा कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत नही किया हैं ऐसी स्थिति मे दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र मे अपीलार्थी द्वारा दर्ज किया गया तथ्य अखण्डित रह जाता हैं और आदेश इंतकाल जैर अपील एकपक्षीय पारित होना प्रतिस्थापित हो जाता हैं ऐसी स्थिति अवधि अधिनियम का फायदा अपीलार्थी को मिल जाता हैं और प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थी बहस अपीलार्थी स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील मे हुई देरी को क्षमा किया जाता हैं तथा प्रथम तिथि की जानकारी के आधार पर इसे मियाद में प्रस्तुत होनी घोषित की जाती हैं।

11 अपील के गुणावगुण पर हमारा यह निर्णय हैं कि दौराने बहस पैरोकारराज ने हमारा ध्यान माननीय राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 25.1.96 पर स्टेट बनाम किशनाराम की ओर दिलाया कि यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई हैं कि गैर खातेदार अपनी भूमियों का खाता विभाजन नही करवा सकते क्योंकि खातेदार काश्तकार ही अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत खाता विभाजन करवाने मे सक्षम हैं। हम भी माननीय राजस्व मंडल के निर्णय से भिन्न राय नही रख सकतें। इसी निर्णय से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए कि गैर खातेदार अपनी जोतों का विभाजन नही करवा सकते और इसी दृष्टि से प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य हो जाती हैं जो खारिज की जाती हैं।

निर्णय आज दिनांक 27–9–2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए0एच0 गौरी)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर